

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

आदेश

आ0सं0 212907 /


पटना, दिनांक 17/12/2014

सं0सं0-ग्रा0वि0-06 (विविध)-17/2014

बिहार प्रसार पदाधिकारी, संवर्ग नियमावली- 2008 के नियम-6(ख) एवं (ग) में निहित प्रावधान के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) की सेवा संपुष्टि संबंधी कार्यालय आदेश सं0- 197663 दिनांक- 25.08.2014 में अंकित त्रुटि का निराकरण करते हुए क्रम सं0- 35 पर अंकित श्री दीपक कुमार सिन्हा एवं क्रम सं0- 48 पर अंकित योषितानन्द लाल दास, प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) का उनके नाम के सम्मुख स्तभ-5 में अंकित योगदान की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित करते हुए स्तभ-6 में अंकित तिथि से उनकी सेवा संपुष्टि की जाती है:-

क्र.सं.	प्रसार पदाधिकारी का नाम	वरीयता क्रमांक	पदस्थापन जिला	संशोधित परीक्ष्यमान योगदान एवं सेवा संपुष्टि की तिथि	
				इस संवर्ग में योगदान करने की तिथि एवं परीक्ष्यमान घोषित किए जाने की तिथि	सेवा संपुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री दीपक कुमार सिन्हा	38	वैशाली	01.07.86	01.07.88
2	श्री योषितानन्द लाल दास	105	गया	31.01.89	31.01.92

- का0आ0सं0- 197663 दिनांक- 25.08.2014 को इस अंश तक संशोधित समक्षा जाएगा तथा शेष यथावत रहेगा ।
- प्रस्ताव में सचिव की सहमति प्राप्त है ।
- इसकी प्रति विभागीय Website:- Rdd.bih.nic.in पर जानकारी हेतु प्रकाशित की गई है ।


(मनोज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

जापांक 212907 /

पटना, दिनांक 17/12/2014

सं0सं0-ग्रा0वि0-06 (विविध)-17/2014

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, वैशाली एवं गया / उप विकास आयुक्त, वैशाली एवं गया / उपर्युक्त संबंधित प्रसार पदाधिकारी / आई0टी0 प्रबंधक, ग्रा0वि0विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी